न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 16/24 दायरा दिनांक 28.09.2024

1. शिवानी शिवहरे पुत्री रामकुमार उर्फ रामा जाति कलाल निवासी मुंडियर तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0
2. शुभम पुत्र रामकुमार उर्फ रामा जाति कलाल निवासी मुंडियर तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0
3. चित्रा पत्नी रामकुमार उर्फ रामा जाति कलाल निवासी मुंडियर तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0

अपीलान्टस

बनाम

1. मनीष पुत्र नेमीचन्द कलाल निवासी मुंडियर तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0
2. सुनील पुत्र नेमीचन्द कलाल निवासी मुंडियर तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0
3. अनिता पुत्री नेमीचन्द कलाल निवासी मुंडियर तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0
4. रविता पुत्री नेमीचन्द कलाल निवासी मुंडियर तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0
5. गिरजा पत्नी नेमीचन्द कलाल निवासी मुंडियर तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0
6. ग्राम पंचायत मुंडियर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मुंडियर तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0
7. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण क्रमांक 1142 दिनांक 13.01.2014 ग्राम मुंडियर तहसील शाहाबाद अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

<u>निर्णय–दिनांक 08.04.2025</u>

उपस्थित – अपीलाण्ट की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट

रेस्पो. की ओर से – एकपक्षीय

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम मुंडियर पटवार हल्का मुंडियर तहसील शाहाबाद जिला बारां राज. में ख0नं0 98/596 रकबा 2.05 बीघा, ख0नं0 98 रकबा 20.00 बीघा, ख0नं0 136 रकबा 0.05 बीघा, ख0नं0 145 रकबा 0.19 बीघा, ख0नं0 234 रकबा 2.13 बीघा किता 5 कुल रकबा 26.02 बीघा कृषि भूमि में सहखातेदार अपीलान्टक्रम 1 व 2 के पिता व अपीलान्टक्रम 3 के पति रामा उर्फ रामकुमार व रेस्पो0 क्रम 4 के पिता नेमीचंद का संयुक्ततः अपीलाधीन फोती नामान्तरकरण से विरासत दर्ज की गई, जिसमें रामा उर्फ रामकुमार के वारिसान अपीलान्ट के होते हुये गोलू व शानू नाम दर्ज कर दिये हैं, जबकि गोलू व शानू रामा उर्फ रामकुमार के वारिस नहीं है। नेमीचन्द के वारिसान रेस्पो0 क्रम 1 लगायत 5 के नाम सही हैं, जिस पर अपीलान्ट को कोई आपत्ति नहीं है। मृतक रामा उर्फ रामकुमार के वारिसान शानू व गोलू [illegible] जाने से नामान्तरकरण डिफेक्टिव होकर खारिज किये जाने योग्य है। [illegible] को अपीलाधीन नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:31:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज

CamScanner

की नकल प्राप्त होने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण का ज्ञान हुआ, ज्ञान के अभाव में हुआ बिलम्व सदभाविक होकर क्षमन किये जाने योग्य है। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1142 दिनांक 13.01.2014 ग्राम मुंडियर तहसील शाहावाद को निरस्त किया जाकर अपीलांट तथा रेस्पो0 कम 1 लगायत 5 के नाम नामान्तरकरण दर्ज यि जाने की कृपा करे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी की गई। रेस्पो0 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलान्टस की मुख्य रूप से आपत्ति यह है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण नंबर 1142 दिनांक 13.01.2014 ग्राम मुंडियर में रामा उर्फ रामकुमार के स्थान पर गोलू व शानू नाम गलत दर्ज किये गये हैं, जबकि उक्त नाम शिवानी व शुभम दर्ज किये जाने चाहिये थे। अपीलांट द्वारा बतौर साक्ष्य प्रस्तुत आधारकार्ड में रामकुमार शिवहरे के पुत्र तथा पुत्री का नाम शुभम व शिवानी दर्ज हैं। इस प्रकार पत्रावली पर प्रश्नगत नामान्तरकरण को खारिज करने के लिये ठोस आधार मौजूद हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण नंबर 1142 ग्राम मुंडियर दिनांक 13.01.2014 को निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार शाहावाद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृत खातेदार रामा पुत्र ठाकुरलाल कलाल निवासी मुंडियर तहसील शाहावाद के वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करें। नामान्तरकरण कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

08/04/2025

उपखण्ड अधिकारी

शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:31:13 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner